संख्या: 60/2026/768/छप्पन-2026-41/03टी0सी0

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 10 अगस्त, 2026

विषयः राजकीय हेलीकाप्टर ए0डब्ल्यू 139 के एक वर्षीय अनुरक्षण तथा पाइलेटो के उड़ान प्रशिक्षण की सेवाओं हेतु निर्माता कम्पनी की अधिकृत फर्म मेसर्स ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लि0 को शुल्क भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-112/ना0उ0नि0उ0प्र0/लेखा/2026 दिनांक 22 जुलाई, 2026 एवं पत्र संख्या 119/ना0उ0नि0उ0प्र0/लेखा/2026 दिनांक 27 जुलाई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पूर्व में जारी शासनादेश सं0 12/2026/1707/छप्पन-2025-43/2015 दिनांक 21.01.2026 के क्रम में भुगतानित अग्रिम के सापेक्ष प्राप्त फाइनल बिल सं0 PI/26/3 दिनांक 25.05.2026 धनराशि रू0 1,93,56,000.00 (रू0 एक करोड़ तिरान्बे लाख छप्पन हजार मात्र) में से अग्रिम का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि रू0 96,78,000.00 (रू0 छियान्बे लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में बिल बेसिस पर किये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 22 जुलाई, 2026 एवं दिनांक 27 जुलाई, 2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश सं0 12/2026/1707/छप्पन-2025-43/2015 दिनांक 21.01.2026 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 96,78,000.00 का भुगतान UTR SH00378327922 दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से फर्म को 50% धनराशि प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में अग्रिम भुगतान प्रथम किस्त के रूप में किया जा चुका है तथा 50% धनराशि गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 बैंक गारन्टी की प्रतीक्षा की गयी। बैंक गारन्टी न प्राप्त की दशा में अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका तथा धनराशि समर्पित कर दी गयी।

2- शासनादेश संख्या 12/2026/1707/छप्पन-2025-43/2015 दिनांक 21 जनवरी, 2026 द्वारा नए क्रय किए जा रहे AW139 हेलीकॉप्टर के एक वर्षीय अनुरक्षण तथा पायलटों के उड़ान प्रशिक्षण की सेवाओं हेतु निर्माता कम्पनी की अधिकृत फर्म मेसर्स ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लि0 के साथ अनुबन्ध निष्पादित करने की अनुमति प्रदान करने तथा "Pilot Loaning & Utilization Services Support Agreement" (3 माह/90 दिन की सेवाओं के लिए है) हेतु रू0 1,64,03,390/- + 18% GST रू0 29,52,610/- कुल रू0 1,93,56,000/- (रूपए एक करोड़ तिरान्नबे लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में निर्गत की गई थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में जारी शासनादेश सं0 12/2026/1707/छप्पन-2025-43/2015 दिनांक 21.01.2026 के क्रम में भुगतानित अग्रिम के सापेक्ष प्राप्त फाइनल बिल सं0 PI/26/3 दिनांक 25.05.2026 धनराशि रू0 1,93,56,000.00 (रू0 एक करोड़ तिरान्बे लाख छप्पन हजार मात्र) में से अग्रिम का समायोजन करते हुए अवशेष धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 96,78,000.00 (रू0 छियान्बे लाख अठहत्तर हजार मात्र) का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में बिल बेसिस पर किये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक नागरिक उड्डयन बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अधिकृत फर्म मेसर्स ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकार्प लि0 से प्राप्त बिलों की शुद्धता एवं धनराशि की गणना के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-हेलीकाप्टर/ वायुयान का क्रय के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-7- 35/दस-2026-27 दिनांक 04 अगस्त, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव

पृ0सं0: 60 /2026/768(1) छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उप महालेखाकार ई०एस0 111, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।